



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

Phone No. 0291-2723225 Email address-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक:-एफ-3(2)/राप्रनिम/स्टोर/20-21/ 2477

दिनांक:- 10/08/202

02/2020-2021 खुली बोली हेतु नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर परिसर में अनुपयोगी, अप्रचलित, नकारा घोषित फर्नीचर सामग्री, इलेक्ट्रीक उपकरण/मशीनरी, आयरन एवं प्लास्टिक स्क्रेप आदि की नीलामी खुली बोली द्वारा की जावेगी। नीलामी योग्य उपरोक्त सामग्री का अवलोकन सूचना प्रकाशित दिनांक से नीलामी दिनांक तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में आकर किया जा सकता है :-

क0 स0	सामान का विवरण	पुस्तक मूल्य	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	नीलामी दिनांक एवं समय
1	अनुपयोगी, अप्रचलित, नकारा फर्नीचर, इलेक्ट्रीक उपकरण मशीनरी एवं आयरन/प्लास्टिक स्क्रेप इत्यादि। (जहां है जैसा है)	363427.04 रुपये	7269.00 रुपये	1. नीलामी दिनांक :- 25/03/2021 2. धरोहर राशि जमा कराने का समय दोपहर 12:00 बजे तक 3. नीलामी समय दोपहर 12:30 से 2:00 बजे तक

इस व्यवसाय में नियोजित इच्छुक व्यक्ति/पार्टिया/फर्म निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु धरोहर राशि बोली लगाने से पूर्व मौके पर ही नकद या डीडी (जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भुगतान योग्य जोधपुर के नाम हो) के रूप में जमा करानी होगी। नीलामी हेतु अन्य शर्तें कार्यालय समय में आकर देखी जा सकती हैं। उच्चतम बोलीदाता को सामान उठाने से पूर्व सामान की पूर्ण बोली राशि व उस पर नियमानुसार अधिरोपित जी. एस.टी. की राशि जमा कराने के पश्चात् उसी दिन सामान जहां है जैसा है, उसी स्थिति में उठाना होगा। नीलामी प्रक्रिया में किसी प्रकार के संशोधन व वाद-विवाद की स्थिति में नीलामी समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा। नीलामी में भाग लेने हेतु जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, पेन कार्ड की प्रति एवं एक आईडी के साथ स्वयं को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। विस्तृत विवरण राज्य मण्डल की वेबसाइट (<http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb>) पर भी उपलब्ध है।

५३

(अमित शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय रा. प्र. नि. म. जोधपुर

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

Phone No. 0291-2723225 Email address-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक:-एफ-3(2)/राप्रनिम/स्टोर/20-21/2477

दिनांक:- 10/3/202

:- खुली बोली हेतु नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें :-

1. नीलामी स्थल पर प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली लगाने से पहले उल्लेखित 2 प्रतिशत धरोहर राशि नकद या डीडी (जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भुगतान योग्य जोधपुर के नाम हो) के रूप में जमा करानी होगी।
2. असफल बोली लगाने वालों को उक्त धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद या बोली लगाने वाला जब इसे वापस लेना चाहे, लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में धरोहर राशि उसके द्वारा देय अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री के विक्रय मूल्य में समायोजित कर ली जावेगी।
3. एक बार बोली समाप्त होने पर अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी और ना ही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा।
4. उच्चतम बोलीदाता को सम्पूर्ण बोली राशि मय जी. एस. टी. बोली समाप्ति पश्चात् उसी दिवस को डी. डी के रूप में जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भुगतान योग्य जोधपुर के नाम से हो जमा करवांनी होगी एवं सामान को भी उसी दिन उठाना होगा।
5. बोली समाप्ति पश्चात् उसी दिवस में राशि जमा नहीं करवाने पर 1000/- रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देय होगा।
6. अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री जहाँ है, जैसा है उसी हालात में नीलाम किया जावेगा। अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री की नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर उत्तरदायी नहीं होगा।
7. विक्रय मूल्य के अतिरिक्त सरकार द्वारा नियमानुसार अधिरोपित करों (जीएसटी आदि) का भी भुगतान सफल बोलीदाता के द्वारा किया जावेगा।
8. राज्य मण्डल का कोई भी वर्तमान एवं पूर्व कार्मिक बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
9. बिना कारण बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने, बोली को स्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
10. उक्त शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी सन्देह का समाधान/खुलासे हेतु नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
11. इच्छुक बोलीदाता नीलामी तिथि से पूर्व यदि सामान का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय समय में भण्डारपाल से सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते हैं।
12. इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर

नीलामी नोटिस निम्नलिखित स्थानों पर चस्पा कर सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर-सम्भाग, जोधपुर।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर महोदय, जिला जोधपुर।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड, रा. प्र. नि. म. जोधपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर